रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1645] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 7, 2015/श्रावण 16, 1937
No. 1645] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 7, 2015/SHRAVANA 16, 1937

संस्कृति मंत्रालय

(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31, जुलाई 2015

का.आ. 2134(अ).—प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 2 के खंड (घख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार संस्कृति मंत्रालय (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) में भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 728 (अ) दिनांक 25 फरवरी, 2014, जो भारत के राजपत्र में 10 मार्च, 2014 को प्रकाशित हुई थी, में इस आशोधन से पूर्व की अथवा करने से छोड़ी गई बातों को छोड़कर, निम्नलिखित संशोधन करती है। केन्द्र सरकार एतद्वारा विनिर्दिष्ट करती है कि उक्त अधिसूचना में उक्त सारणी के क्रम संख्या 6 के समक्ष खण्ड 2 के तहत विद्यमान प्रविष्टि 'अधिकारी का पदनाम' के स्थान पर "निदेशक (पुरावशेष) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जनपथ, नई दिल्ली," प्रतिस्थापित किया जाए।

2. उपर्युक्त आशोधन सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

[फा. सं. 1/2/2013-स्मा.]

राकेश तिवारी, महानिदेशक

MINISTRY OF CULTURE

(ARCHAEOLOGY SURVEY OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July 2015

S.O. 2134(E).—In exercise of the powers conferred by the clause (db) of section 2 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), the Central Government makes following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Culture (Archaeological Survey of India) S. O. 728 (E) dated 25th February, 2014 published in Gazette of India on 10th March, 2014, except as respects things done or omitted to be done before such modification. The Central Government hereby specifies that the existing entry under column (2) – 'Designation of the officer' against S. No. 6 of the TABLE in the said notification shall be substituted as "Director (Antiquity) Archaeological Survey of India, Janpath, New Delhi.

2. The above said amendment shall take effect from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

[F. No. 1/2/2013-M]

RAKESH TEWARI, Director General

3370 GI/2015

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.